

FORM NO III

फर्द अहकाम


(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान रोशन लाल बनाम रुकमा

किस्म मुकदमा : अस्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 573/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2025	<p>मूल वाद के साथ अधिवक्ता श्री नरेन्द्र जाट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। एवं प्रथम पक्ष की एकतरफा बहस सूनी गई। प्रकरण में अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए प्रकरण में आगामी पेशी तक आराजी ख0नं0 2433 रकबा 0.7967, 2436 रकबा 0.4806 हैक्टे, ख0नं0 2437 रकबा 1.5302 हैक्टै, 2416 रकबा 1.7831 वाके कस्बा निवाई तह0 निवाई में स्थित भूमि के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं बेचान, रहन, दान, वसीयत आदि नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है यदि अप्रार्थीगण को इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि की जावे। पत्रावली आगामी दिनांक 26/11/25 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक) </p> <p>10/11/25</p> <p>प्रार्थी की दारे में उपरि अहकाम अभिलेख पत्रावली पत्रावली तलाक पर निरीति के अहकाम पेश होने संबंधित दिकाने पत्रावली तलाक है</p> <p style="text-align: center;"> अहकाम जारी के अनुदान 06/21/25 के निवाडोए </p>	

अनुसंधान के दौरान 'प्राथमिक' के
के मध्य (अनुसंधान) होने के कारण
हेतुव यह कार्य नहीं चलाना चाहिए
है नहीं, इसका इसी प्रकार स्पष्टीकरण
आवश्यक है

प्रार्थना एवं प्रकृत्य के साथ ही
चलाना चाहिए के लिए प्रकृत्य के
कार्य के लिए आवश्यक रूप से नवी 'केन'
के प्राथमिक इसी प्रकार स्पष्टीकरण
आवश्यक है प्राथमिक के लिए - अनुसंधान
कार्य के लिए यह स्पष्ट है कि
होना है

उपखण्ड अधिकारी
निवाड़ (टोंक)